

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 217 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 381)

वादी

बनाम

प्रतिवादी

1. दातो पुत्री सजन सिंह जाति महजबी
निवासी पीहर पक्ष 33 एच तहसील
श्रीकरणपुर हाल आबाद
ससुराल-मनजीत कौर पत्नी गुरदेव
सिंह जाति महजबी निवासी वार्ड नम्बर
13 बस स्टैण्ड के पास, कालिया,
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिय
तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 26.06.2023

उपस्थित: 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 27.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/58 के मुरब्बा नम्बर 20, 29, 42 की कुल 5.696 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम दातो पुत्री सजन सिंह दर्ज है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम मनजीत कौर अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/58 के मुरब्बा नम्बर 20, 29, 42 की कुल 5.696 हैक्टेयर भूमि में वादी के अंकित नाम दातो के स्थान पर मनजीत कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावें।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 1927 दिनांक 06.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 33 एच के खाता संख्या 58 के मुरब्बा नम्बर 20, 29, 42 में दातो पुत्री सजन सिंह हिस्सा 407/5696 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वर्तमान में प्रार्थिया का निवास वार्ड नम्बर 13 बस स्टैण्ड के पास कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर बताया गया है। साक्ष्यवादी में वादिया के नाम के संबंध में गवाह मंगा सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित आकर शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

न्यायवण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर



3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/58 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/58 में क्रम संख्या 9 पर अंकित नाम दातो के स्थान पर मनजीत कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति में नाम मनजीत कौर दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 33 एच के खाता संख्या 58 के मुरब्बा नम्बर 20, 29, 42 में दातो पुत्री सजन सिंह हिस्सा बस स्टैण्ड के पास कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर बताया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत कालियां के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार मनजीत कौर व दातो दोनो नाम एक ही महिला के है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत कालियां के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

---आदेश---

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/58 में क्रम संख्या 9 पर अंकित नाम दातो के स्थान पर दातो उर्फ मनजीत कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।



(श्री गंगानगर जिला)
सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्री गंगानगर जिला)
सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाफ़ा दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

दातो बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 217/2023

निर्णय दिनांक :- 27.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हन्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नगी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सन्व 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/58 में क्रम संख्या 9 पर अंकित नाम दातो के स्थान पर दातो उर्फ मनजीत कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 27.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
मुददई			स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	मेहनताना वकील पर	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	योग	00	00
योग	04	00			

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 27.08.2024

क्रमांक: रीडर/2024/478

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर